झारखण्ड सरकार

झारखण्ड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन समिति
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
झारखण्ड, राँची।

प्रेस विज्ञप्ति

जिलों में दवाओं की कमी होने पर जिम्मेवारी सिविल सर्जन की होगी : के0 विद्यासागर

दिनांक 14/3/2015, रांची : नामकुम स्थित आई0 पी0 एच0 सभागार में स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव के0 विद्यासागर ने विभाग के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने सभी सिविल सर्जनों को निर्देश दिया की उपलब्ध राशि से आवश्यक दवा खरीदने के कार्य को प्राथमिकता में लें। यदि किसी जिले में दवाओं की कमी होगी तो इसके लिए संबंधित सिविल सर्जन जिम्मेवार माने जाएंगे और उनके खिलाफ त्वरित कार्रवाई की जाएगी। विभाग के अंतर्गत संचालित विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने पर जोर दिया।

बैठक में ग्यारह विषयों पर समिक्षात्मक चर्चा की गई। प्रधान सचिव ने सभी सिविल सर्जनों को निर्देश दिया की आवश्यक दवाईओं कि उपलब्धता प्रत्येक अस्पताल में होना आवश्यक है। सिविल सर्जनों को 24x7 के तर्ज पर काम करने की बात कही । उन्होने जोर देकार कहा की सिविल सर्जन से पहले सभी एक डॉक्टर है, इसलिए मानवता के आधार पर स्वास्थ्य जैसे कार्यो के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपना पूर्ण योगदान देना चाहिए। प्रत्येक जिलें में कितना दवाऐं उपलब्ध दवाओं कौ पूर्ण ब्यौरा पन्द्रह दिनों के अंदर राज्य कार्यालय को देने का निर्देश दिया।

उन्होने सभी सिविल सर्जनों को कहा कि जो दवा मुफ्त में दिया जाना है, वह दवा भी मरीजो तक नही पहूँच रही है जिसके कारण गरीब मरिजों को दवा बाजारो से खरीदना पड़ रहा है। सभी सिविल सर्जन सुनिश्चित करें कि मुफ्त में दी जाने वाली दवा मरिज कों मिल रही है या नही।

पूर्वी सिंहभूम के सिविल सर्जन को कारण बताओ नोटिस जारी करने का आदेश अभियान निदेशक को दिया गया ,कि दिसम्बर माह में दवाओं के लिए राशि भेजने के बाद भी अभी तक दवा क्यों नही खरीदा गया।

स्वास्थ्य केन्द्रो में ऐम्ब्युलेंस की उपयोगिता पर समिक्षा करते हुए सभी सिविल सर्जन को निर्देश दिया कि प्रत्येक जिलें में कितन ऐम्ब्युलेंस हैं,असका रिपोर्ट देना सुनिश्चित करें। जिस जिलें में ऐम्ब्युलेंस नही है उसका पूर्ण ब्यौरा देने को कहा। जिस अस्पताल में ऐम्ब्युलेंस नही है वहाँ पर विभाग उसका प्रावधान करेंगा। वर्तमान में भारत सरकार की ओर से उपलब्ध कराई गई राशि से विभाग द्वारा 104 ऐम्ब्युलेंस खरीदा गया है साथ ही 19 ऐम्ब्युलेंस, टाटा सुमो में संचालित है।

शहरी सी0 एच0 सी0 में दवा उपलब्ध नही होने के कारण सभी सिविल सर्जन को निर्देश दिया गया है कि शीध्र शहरी सी0 एच0 सी0 में दवा उपलब्ध कराई जाए। साथ ही सभी केन्द्रों में कार्यरत कर्मियों की सूची लगाने की बात भी कही है और इस संबंध मे सभी जिलों से विस्तृत विवरणी मांगी गई है।

चलंत चिक्त्सिा वाहन (MMU) का भुगतान न किए जाने पर सचिव ने कड़ी आपत्ति जाहीर की और सभी सिविल सर्जन को कहा की एक सप्ताह के अंदर जिनका भुगतान लंबित है, उसका भुगतान शीघ्र किया जाए। सिविल सर्जन को निर्देश देते हुए कहा कि MMU द्वारा एक महिने में कितने मरीजो का इलाज कर रही है, उसका पूर्ण ब्यौरा दें। UNICEF संस्था से MMU संबंधी की जांच पडताल तथा प्रतिवेदन देने का निंदेश दिया गया।

जिलों से ULTRA Sound Machine का ब्यौरा मांगा गया है कि मशीन कहाँ कहाँ उपलब्ध और कार्यरत है या नही। ममता वाहन पर डॉ0 ऐ0 के0 चौधरी ने बताया कि जिलों में चल रहें ममता वाहन अधिकांश स्वास्थ्य कर्मचारी ने अपने रिश्तेदारों को दिलाया है और उन्ही ममता वाहन को बार बार कॉल कर बुलाया जाता है। उन्होने इस पर विजलेंस जांच

कराने की बात कही। प्रधान सचिव ने इसे सख्ती से लेते हुए सभी सिविल सर्जन को निर्देश दिया कि इस संबंध में जांच कर तीन दिनों कें अंदर राज्य कार्यालय को रिर्पोर्ट समर्पित करेंगें।

जिलों को निदेशित किया गया है कि HMIS (Health Management Information System) में जो रिपोर्ट दी जा रही है उसकी सत्यता कि जांच कर पदाधिकारी राज्य को भेजना सुनिशिचत करेंगें। भारत सरकार द्वारा चलाऐ जा रहे स्वच्छता अभियान को प्रमुख्ता से लागू करते हुए सभी अस्पतालो में सफाई की बात भी कही गई है। इसके लिए जिला में सिविल सर्जन एवं क्वालीटी मैनेजर जिम्मेवार होंगें। प्रधान सचिव ने कहा कि अगर भ्रमण के दौरान या कही से भी जानकारी मिलती है की स्वास्थ्य संसथान में साफ सफाई नही है तो इसके लिए सीधे सिविल सर्जन पर कार्यवाई की जाऐगी। विभिन्न जिलों ने अपने जिलें में इस संबंध में किए गए कार्य का ब्यौरा प्रधान सचिव को दिया ।

जिला स्तर पर ए0 एन0 एम0/पारामेडिकल कर्मियों का तर्कसंगत पदस्थापन कि विस्तृत रिपोर्ट सभी सिविल सर्जन से मांगा गया है। कई जिलों में ए0 एन0 एम0 न के बराबर है तो कई जिलों में अधिकता है। इस पर प्रधान सचिव ने पदास्थापन आवश्यकता अनुसार अस्पतालों मे करने की बात कही है।

राज्य में कार्यरत सहियाओं का प्रोत्साहन राशि लंबित होने के कारण प्रधान सचिव ने सभी सिविल सर्जन को निदेशित किया है कि एक सप्ताह के अंदर सभी सहियाओं के कार्य का भुगतान कर दिया जाए। विभाग द्वारा जितने नये भवन निर्माण किए गए है उन भवनो को शीध्र जिला को हस्तांतरित करने को भी कहा।

आशिष सिंहमार, अभियान निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखण्ड़, ने कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का मुख्य उद्देश्य शिशु स्वास्थ्य एवं मातृत्व स्वास्थ्य में सुधार करना है। जिला ये सुनिशचित करें की सभी कार्य समय पर और सही रूप से किया जाए। जिससे की आम जनता को स्वास्थ्य संबंधी सुविधाऐ प्राप्त हो सकें। उन्होने प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, झारखण्ड़ सरकार को अश्वस्त किया की कार्य ससमय करने की पूरी कोशिश किया जाऐगा।

समिक्षात्मक बैठक में सभी जिलों के सिविल सर्जन भाग लेते हुए अपने जिलें मे किए गए कार्यो की कार्यसूची राज्य कार्यालय को समर्पित किया और जिलें में उपलब्ध दवाओं का विवरण प्रस्तुत की।

समिक्षात्मक बैठक में निदेशक प्रमुख (स्वास्थ्य सेवाएं) डॉ सुमंत मिश्रा, संयुक्त सचिव बी0 के0 मिश्रा, उप सचिव रामकुमार सिन्हा, निदेशक डॉ रमेश, डॉ ए0के0 चौधरी, उपनिदेशक डॉ तुनुल हेमरोम, डॉ अजीत कुमार प्रसाद, अपर निदेशक डॉ एम0 एन0 लाल सहित सभी जिलें के सिविल सर्जन, एन0 एच0 एम0 झारखंड के कंसलटेंट उपस्थित थे।

नोडल ऑफिसर
आई0 ई0 सी0 कोषांग